

मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2005-जनवरी, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी, 2006 (पौष 16, 1927)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -
(क) मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2003,
(ख) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च 2004), तथा

(ग) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 42 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, पटल पर रखेंगे।

(2) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट, 1950 की धारा 33 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष दिनांक 1.1.2003 - 31.3.2003 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

(3) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री -

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 ; एवं

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, पटल पर रखेंगे।

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

- (क) क्र. 1382-एमपीईआरसी-2005, दिनांक 9 जून, 2005
- (ख) क्र. 1662-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 12 जुलाई 2005
- (ग) क्र. 1762-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 जुलाई 2005
- (घ) क्र. 1763-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 जुलाई 2005
- (ङ) क्र. 1764-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 जुलाई 2005
- (च) क्र. 1765-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 जुलाई 2005
- (छ) क्र. 1766-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 जुलाई 2005
- (ज) क्र. 1767-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 जुलाई 2005
- (झ) क्र. 1768-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 जुलाई 2005
- (ञ) क्र. 1769-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 जुलाई 2005
- (ट) क्र. 1944-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 9 अगस्त 2005
- (ठ) क्र. 1945-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 9 अगस्त 2005
- (ड) क्र. 1946-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 9 अगस्त 2005
- (ढ) क्र. 1947-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 9 अगस्त 2005
- (ण) क्र. 2004-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 22 सितम्बर 2005
- (त) क्र. 2315-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 26 सितम्बर 2005
- (थ) क्र. 2320-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 26 सितम्बर 2005
- (द) क्र. 2346/म.प्र.वि.नि.आ./05, दिनांक 28 सितम्बर 2005
- (ध) क्रमांक 2371/म.प्र.वि.नि.आ./2005, दिनांक 18.10.2005
- (न) क्र. 2559-म.प्र.वि.नि.आ.-2005, दिनांक 28 अक्टूबर 2005
- (प) क्र. 2560-म.प्र.वि.नि.आ./2005, दिनांक 28 अक्टूबर 2005
- (फ) क्रमांक. 2752.-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 17 नवंबर, 2005; तथा
- (ब) क्रमांक. 2506.-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 24 अक्टूबर 2005,

पटल पर रखेंगे।

(5) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, पर्यटन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगी।

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, 2002 (क्रमांक 15 सन् 2002) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पांचवीं एवं आठवीं बोर्ड परीक्षा विधान सभा क्षेत्रवार परिणाम वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे।

(7) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे।

(8) श्री तुकोजीराव पवार, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का दिनांक 30 जून, 2002, दिनांक 30 जून, 2003, एवं दिनांक 30 जून, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का दिनांक 1 जुलाई, 2000 से दिनांक 30 जून, 2001, दिनांक 1 जुलाई, 2001 से दिनांक 30 जून, 2002, दिनांक 1 जुलाई 2002 से दिनांक 30 जून, 2003 तथा दिनांक 1 जुलाई, 2003 से दिनांक 30 जून, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ग) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002,

(घ) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 44वां, 45वां, 46वां, एवं 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004,

(ङ) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 30 वां, 31 वां एवं 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई, 2001 से दिनांक 30 जून, 2002 तक, दिनांक 1 जुलाई 2002 से दिनांक 30 जून, 2003 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2003 से दिनांक 30 जून, 2004 तक; तथा

(च) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई, 2001 से दिनांक 30 जून, 2002, दिनांक 1 जुलाई 2002 से दिनांक 30 जून, 2003 तथा दिनांक 1 जुलाई, 2003 से दिनांक 30 जून, 2004, पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बिछुहर से एक बालक का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री आरिफ अकील, अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर में हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सर्वश्री रामलखन शर्मा, राजेश पटेल, सदस्य, मुरैना जिले के जौरा कस्बे में राजनैतिक पार्टी के नेता की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सहायक होम्यो/आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के समान एक संवर्ग कायम किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) पं. रमेश दुबे, सर्वश्री रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य, छिन्दवाड़ा शहर के बाजार में हुई डकैती की घटना से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले में विद्युत तार की चोरी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल जिले के गोलगांव में हुए गोलीकांड के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न जिलों में मोर एवं पक्षियों का अवैध शिकार होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री निशिथ पटेल, सदस्य, जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती चिकित्सालय में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) पं हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिला ग्रामीण कृषि विकास बैंक द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) पं हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन से रायल्टी की चोरी होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, मैहर उप-जेल में प्रताड़ना से कैदी की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) ठा. राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य, खंडवा जिले के मुंदी नगर स्थित भोज मुक्त विश्वविद्यालय के संचालक द्वारा अनियमितता किये होने की ओर राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य, शहडोल जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अतिशेष सहायक शिक्षकों की पदस्थापना से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र में वन्य प्राणियों का शिकार होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के नया गांव एवं उमरी थानान्तर्गत पांच युवकों का अपहरण होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम नेगरी में दलित महिला के साथ बलात्कार एवं मारपीट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में गन्ना कृषकों को गुड़ एवं खांडसारी बनाये जाने की रोक से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश में बी.टी. कपास उत्पादक कृषकों को मुआवजा राशि न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सर्वश्री निशिथ पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के गाढ़ा निवासी की जवा थाना परिसर में हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री रामलखन शर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पटवारा में पशु विक्रेताओं के साथ मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य, शिवपुरी जिले के फूटीवार बांध से सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले की बड़वाह तहसील में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर एवं ठा. सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम पड़रिया खुर्द स्थित आम रास्ते में अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सीधी जिले में कृषकों की मांग अनुसार खाद एवं बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के मिहोना कस्बे में एक परिवार पर जानलेवा हमला एवं लूटपाट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, खिलचीपुर एवं जीरापुर क्षेत्र में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, जौरा क्षेत्र के कैलारस-पहाड़गाड़ मार्ग पर स्थित नाले पर पुल का निर्माण किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के पांडुर्णा नगर में एस.एम. होम एप्लाइड्स कंपनी द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम मटली के टोला में जहरीली शराब पीने से आदिवासियों की मौत होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन), सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे,

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य, पन्ना जिले के -
 - (क) ग्राम कंधेली से टिकरिया तक सड़क बनाये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम बिलपुरा में मजरा सिंहारन में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -
 - (क) ग्राम मुरेडी में पारग नदी पर रिटर्निंग वाल बनाये जाने, तथा
 - (ख) विजयपुर नगर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवन बनाये जाने,
- (3) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
 - (क) ग्राम मोहगांव से मुंगनापार तक सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने,
 - (ख) ग्राम तीगांव से बाडेगांव तक सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने,
 - (ग) ग्राम मोहगांव - महोडोगरी तक सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने,
 - (घ) ग्राम करव्हार से पांडुर्णा तक सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने, तथा
 - (ङ) ग्राम खेडीकलां पहुंच मार्ग का उन्नयन कराये जाने,
- (4) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम नानकपुर से देवनखेड़ी तक सड़क बनाये जाने,
- (5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -
 - (क) ग्राम झिरमिरा में ट्रांसफार्मर लगाये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम राजला स्थित प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
- (6) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
 - (क) ग्राम साईंखेड़ा व पिटरास के मध्य पुलिया बनाये जाने, तथा
 - (ख) ग्राम इमलिया व अमाड़ा के मध्य ऊपर नदी पर पुल बनाये जाने,

- (7) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले के रेलवे स्टेशन पगढाल से बस स्टेण्ड पगढाल तक पक्की सड़क बनाये जाने,
(8) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम धामनोद स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(9) श्री राजेश पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम देहरी कला में विद्युत सब स्टेशन स्थापित कराये जाने,
(10) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य, बालाघाट जिले के -
(क) ग्राम जागपुर में हाईस्कूल खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम कायदी में उर्दू स्कूल खोले जाने,
(11) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के -
(क) ग्राम पंधाना से आरूद तक एवं पंधाना से निहालवाड़ी तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम आरूद में विद्युत उप केन्द्र स्थापित किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जन संपर्क मंत्री, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 2 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
(2) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मोटरयान (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, जन संपर्क मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) विधेयक 2006 (क्रमांक 2 सन् 2006) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित

समय

5 मि.

7. अशासकीय विधि विषयक कार्य

- श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. अशासकीय संकल्प

30 मि.

- (1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल के समस्त गैस त्रासदी के पीड़ितों को देश के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाय."

1 घन्टा

- (2) श्रीमती जमुनादेवी, सर्वश्री सुखदेव पांसे, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण दिल्ली राज्य के समान किया जाय."

30 मि.

- (3) सर्वश्री शरद जैन, निशिथ पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि धोबी/रजक जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाय."

25 मि.

- (4) सर्वश्री रामनिवास रावत, दुर्गालाल विजय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ग्वालियर-श्योपुर नैरो गैज रेल लाईन को ब्रॉड गेज रेल लाईन में परिवर्तित करते हुए कोटा (राजस्थान) तक रेलवे लाईन बढ़ाई जाय."

भोपाल :
दिनांक: 5 जनवरी, 2006

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा